

**बिहार लोक सेवा आयोग**  
15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना—800001  
**आवश्यक सूचना**

बिहार कृषि सेवा वर्ग-02 के अन्तर्गत बिहार कृषि सेवा कोटि-1, (शब्द) 'अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप परियोजना निदेशक, आत्मा/सहायक निदेशक (शब्द एवं समकक्ष)' के 235 पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-86 / 2014 के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन के तहत लिखित परीक्षा के लिए प्रारम्भिक रूप से अर्हित (Eligible), औपचार्यिक रूप से अर्हित (Provisionally eligible) एवं अनर्हित (Ineligible) उम्मीदवारों की सूची (विलम्ब से प्राप्त आवेदनों की सूची सहित) आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर प्रकाशित कर दिया गया है। अनर्हित उम्मीदवारों को अलग से अस्वीकृत पत्र नहीं भेजा जाएगा। अनर्हित उम्मीदवारों को कोई आपत्ति हो, तो वे अपना आपत्ति आवेदन पत्र/अभ्यावेदन अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से सिर्फ आयोग के ई-मेल [bpscpat-bih@nic.in](mailto:bpscpat-bih@nic.in) पर दिनांक 06.02.2017 तक आयोग को भेज सकते हैं। इस अभ्यावेदन के साथ 15.01.2015 तक निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्राप्ति छायाप्रति भी भेजेंगे। उक्त अभ्यावेदन में विज्ञापन संख्या-86 / 2014, बिहार कृषि सेवा कोटि-1, (शब्द) एवं अनुक्रमांक अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। दिनांक 06.02.2017 के बाद प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. विज्ञापन संख्या 86/2014, बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शास्त्री) से संबंधित आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित औपचारिक उम्मीदवारों (Provisionally Admitted) की सूची में अंकित सभी 14 उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करें कि उक्त सूची की अभ्युक्ति (Remarks) कॉलम में अंकित उनकी शैक्षणिक डिग्री/योग्यता (जो संबंधित विषयों में है) B.Sc. Agriculture के समतुल्य है। उक्त प्रमाण पत्र आयोग के उपर्युक्त वर्णित ई-मेल पर दिनांक 06.02.2017 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा तक उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उनकी अभ्युक्ति रद्द करने पर आयोग निर्णय लेने हेतु खत्त्रं होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक / औपबंधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों की अंतिम अर्हता के सम्बन्ध में उसके लिए निर्धारित विभिन्न शर्तों की पूर्ण समीक्षा के बाद आयोग द्वारा यथासम्भव अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

अपर सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना